

पत्रांक : 10/न 4- 34/07/484
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक

अनील कुमार
सरकार के उप सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार।

सेठा म.

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कायुगिटी सेन्टर,
नई दिल्ली-110092।

पटना, दिनांक 30.6.09

दिप्य : संघमित्रा पब्लिक स्कूल, पक्कलीया मोहदीपुर, सीवान को CBSE नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

नहाश

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि अधिसूचना संख्या -238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा विभागीय समिति द्वारा दिनांक 25.06.2009 की बैठक में संघमित्रा पब्लिक स्कूल, पक्कलीया मोहदीपुर, सीवान को संख्या ०५८०५०, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गई है। समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवद है :-

- विद्यालय संघमित्रा एजुकेशन सोसाइटी, न्याय मार्ग श्रीनगर द्वारा संचालित है। इस सोसाइटी/ट्रस्ट में किसी एक सदस्य व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का घोरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
- विद्यालय किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेन्चाइजी अथवा किसी MANGHMITRA PUBLIC SCHOOL (B.B.S.E. AFFILIATION NO. 3303) के ग्रांड नाम का उपयोग नहीं करने का दावा शपथ पत्र भी दिया गया है।
- विद्यालय को सोसाइटी के द्वारा 3 बीघा 3 कट्ठा 11 धुर 10 धुकी जमीन उपलब्ध है। विद्यालय का पर्याप्त उपरकर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय नाइट्रोजन शिक्षा बोर्ड जो ख्याल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना हो कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक अनुरूप हैं।

Om
PRINCIPAL

MANGHMITRA PUBLIC SCHOOL
SILHOUETTE
B.B.S.E. AFFILIATION NO. 3303
SIKANDAR (BIHAR)

*A. H. S.
Manager
Manghmitra Public School*

4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्री में विज्ञापन निकालकर लिहिए प्रक्रिया द्वारा करने का दावा किया गया है, परंतु ऐसा कोई साहग प्रस्ताव नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती रही है या नहीं स्पष्ट नहीं है। विद्यालय में शिक्षक है। सी०वी०एस०ई०. -ई दिल्ली को यह नियुक्ति करना होता कि शिक्षकों तकी योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क, प्रोस्पेरिट्स के माध्यम से विद्यालय सूचना पट से छात्रों को सूचना देकर अभिभावकों को सूचना देकर की जाती है। विद्यालय में अभिभावक गोष्ठी आयोजित की जाती है। विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, गार्ड के लेखा अकेशण तथा गार्ड के प्रतिवेदन प्रति वर्ष सार्वजनिक किया जाता है।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से राहगती दी गयी है कि उनसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 03.04.06 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त स्वीकार है। अपेक्षित शर्तों के अनुसार-

(क) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पडोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शु. ० नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुरूपित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अहंकारी, लंब्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आप अधिकतम 60,000/- (साठ हजार रुपये) प्रतिवर्ष होंगे।

(ख) विद्यालय में नर्सरी/केंजी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(ग) नर्सरी/केंजी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों को निर्धारित विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी ३ किलोमीटर तक रहेगी।

(घ) जिल बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 30 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, फिर भी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली अपने स्तर से जींच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. राय ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपना सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह

b
Attest
Manager
Sanghamitra Public School

शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख को प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा।
शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर संघमित्रा पब्लिक स्कूल, पक्कलीया गोहदीपुर, सीवान को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत की जाती है।

विश्वासभाजन,

Ch. 4
(अनील कुमार)

सरकार के उप रायिव

मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना।

अनुलग्नक:- जिला शिक्षा पदार्थ, सीवान
से प्राप्त जोंच प्रतिवेदन।

पत्रांक :- 484 / पटना, दिनांक 30.6.09
प्रतिलिपि प्राचार्य, संघमित्रा पब्लिक रखूल, पक्कलीया गोहदीपुर, सीवान को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Ch. 6
(अनील कुमार)

PUNJAB
SANAHMITRA PUBLIC SCHOOL
C.B.S.E. AFFILIATION NO. 330337
SIYAN (HARAYA)

पत्रांक :- 484 / पटना, दिनांक 30.6.09

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान को उनके पत्रांक 974, दिनांक 27.09.08 के प्रसंग
में सूचनार्थ प्रेषित।

Ch. 6
(अनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

Attest
Manzil D.L.M
Manager
Sanahmitra Public School